

मसाला पार्क, जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के सामान्य प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और
रखरखाव के लिए बोलियों हेतु आमंत्रण

बोली दस्तावेज

मसाला बोर्ड
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार,
कोच्ची - 682 025

मसाला पार्क, जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के सामान्य प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए बोलियाँ हेतु आमंत्रण

मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के लिए दो टन प्रति घंटे की क्षमतावाली एक सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधा एवं 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमतावाली बैच प्रक्रिया की भाप-विसंक्रमण इकाई स्थापित किए थे। बोर्ड ने दिसंबर 2019 तक सामान्य प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव का पट्टा एक निर्यातक को दिया है। मसाला बोर्ड, अब 5 साल की अवधि के लिए पार्क में स्थित प्रसंस्करण इकाइयों को संचालन और रखरखाव करने के लिए, इच्छुक निर्यातकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। सफल बोलीदाता को संयंत्र और इकाइयों का पट्टा 'जैसा है जहाँ है शर्त' पर दिया जाएगा। चयनित बोलीदाता को बैंक गारंटी के रूप में एक सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा और इकाई का कब्जा लेने की तारीख से मासिक आधार पर पट्टे के किराये की राशि का भुगतान करना होगा। पट्टे के किराये की राशि में हर वर्ष सहमत राशि के 10% की वृद्धि होगी। सफल बोलीदाता को एक बार दिए जाने वाले अप्रतिदेय परिचालन शुल्क, दो लाख रुपये, 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ (कुल 2.36 लाख रुपये), स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में बनाए गए एरणाकुलम में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान या बोर्ड के प्राप्ति खाते में जमा करना होगा।

जिस सफल बोलीदाता को यह इकाई दी जानी है, उसे दो संकुल बोली प्रणाली अर्थात्, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली के आधार पर चुना जाएगा।

सफल बोलीदाता अपने खर्च पर मौजूदा संयंत्र के लिए आवश्यक संशोधन/सुधार के लिए जिम्मेदार होगा और संयंत्र के संचालन तथा बिजली, रखरखाव लागत, डीजल जेनरेटर, जल शुल्क आदि सहित संयंत्र के दैनिक संचालन के सभी खर्चों को पूरा करेगा। बोली प्रक्रिया के विस्तृत निबंधन और शर्तें बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी) में दी गई हैं।

बोलीदाता **11 नवंबर, 2019** को या उससे पहले तकनीकी वाणिज्यिक और वित्तीय बोली प्रस्तुत करेंगे। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी, जिनकी तकनीकी-व्यावसायिक बोलियाँ स्वीकार्य हैं।

बोर्ड उपलब्ध बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **12-11-2019** को सुबह **11 बजे** तकनीकी बोली खोलेगा और वित्तीय बोली उसी दिन अपराह्न **3.00 बजे** खोली जाएगी।

निदेशक (विपणन)

स्थान: कोचीन-25

दिनांक: 21-10-2019

बोलीदाताओं के लिए सूचना (आई टी बी)

1.0 बोली का दायरा (गुंजाइश)

1.1 स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मसाला पार्क जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के लिए दो टन प्रति घंटे की क्षमतावाली एक सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधा एवं 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमतावाली बैच प्रक्रिया की भाप-विसंक्रमण इकाई स्थापित किए थे। मसाला पार्क जोधपुर, राजस्थान में प्रसंस्करण इकाई सहित 8600 वर्ग फीट क्षेत्रफल के एक वेयरहाउस आबंटन के लिए उपलब्ध है। बोर्ड, दिसंबर, 2019 में, वर्तमान पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद, उक्त प्रसंस्करण सुविधाओं और वेयरहाउस का दैनिक संचालन के लिए निर्यातकों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव करता है। यह सुविधा राजस्थान के जोधपुर जिले के रामपुरा भाटियां गांव में स्थित है। स्पाइसेस बोर्ड सफल बोलीदाता को, पट्टा अनुबंध के निष्पादन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मशीनों, उपकरणों और औजारों के साथ इकाइयों को 'जैसा है जहाँ है शर्त' पर संचालन और रखरखाव के लिए पट्टे पर देने की इच्छा रखता है।

1.2 कार्य का दायरा 5 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्र और मशीनों तथा गोदामों को सफलतापूर्वक संचालित करना होगा, जिसके लिए इकाइयों को पट्टे पर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए संयंत्र भवन के परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। सफल बोलीदाता को प्रसंस्करण संयंत्र के लिए लागू सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़कों आदि का उपयोग करने और परिसर में प्रवेश की अनुमति के लिए अधिकृत किया जाएगा। सफल बोलीदाता को संचालन के सभी खर्चों, स्पेयर पार्ट्स की लागत, मशीनों का रख-रखाव, संयंत्र भवन का वार्षिक रखरखाव, जल आपूर्ति, बिजली के लिए उपयोगिता शुल्क, डीजी सेट के लिए शुल्क, इकाई के संचालन के लिए सुरक्षा शुल्क आदि का वहन करना होगा।

2.0. बोली प्रस्तुत करने के लिए योग्यता मानदंड

2.1 निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता बोली में भाग लेने के पात्र होंगे

- बोलीदाता के पास मसाले के निर्यातक के रूप में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है।
- बोलीदाता को मसाले/कृषि वस्तु/खाद्य प्रसंस्करण आदि के लिए प्रसंस्करण इकाई चलाने का पिछला अनुभव होना आवश्यक है।

2.2 बोलीदाता अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करेंगे।

- गठन या कानूनी स्थिति को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेजों की प्रतियाँ, पंजीकरण का स्थान, व्यवसाय का प्रमुख स्थान, मसाले के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र। संयुक्त उद्यम या कंपनियों के संघ के मामले में, प्रत्येक साझेदार की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से संकेतित करता हुआ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तुत किया जाएगा। (अनुसूची- क)

- (ii) वित्तीय विवरण जिसमें पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए निष्पादित कार्यों का कुल मौद्रिक मूल्य शामिल होगा। (अनुसूची - ख)
- (iii) पिछले अनुभव का विवरण (अनुसूची - ग)

2.3 बोलीदाता वित्तीय बोली में प्रसंस्करण इकाई के लिए दिए जाने वाले मासिक पट्टे की राशि को उद्धृत करेंगे

2.4 बोलीदाता वेयरहाउस केलिए दिए जाने वाला मासिक किराया उद्धृत करेंगे।

2.5 बोलीदाता प्रस्तावित सुरक्षा जमा राशि और उसके रूप (चेक/डीडी या बीजी) को वित्तीय बोली में उद्धृत करेंगे।

3.0 प्रति बोलीदाता एक बोली

3.1 प्रत्येक बोलीदाता केवल एक बोली प्रस्तुत करेगा। जो बोलीदाता एक से अधिक बोली प्रस्तुत करता है, उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।

4.0 साइट पर जाएँ

4.1 बोलीदाता को, अपनी जिम्मेदारी और रुचि पर, संयंत्र और उपकरणों, आदि को देखने जाने और उनकी जांच करने तथा उन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो बोली तैयार करने और इकाई के संचालन के लिए एक समझौते में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। कार्यस्थल पर जाने और आवश्यक जानकारी एकत्र करने का खर्च बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। जो बोलीदाता कार्यस्थल पर जाने के इच्छुक हैं, वे निम्नलिखित पते पर बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय गुना को अग्रिम रूप से सूचित करेंगे।

सहायक निदेशक,
स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय,
सी-65, कमला नेहरू नगर-II एकस्टेंशन
जोधपुर-342 008
राजस्थान
मोबाइल: 0291-2636994
ईमेल : spicesboardju@gmail.com

5.0 बोली की कीमत

5.1 बोलीदाता को बोली के साथ 50,000 रुपए की बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा, जो कोचीन में देय किसी भी बैंक के डीडी के रूप में या बोर्ड के निम्नलिखित बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भेजी जाएगी।

स्पाइसेस बोर्ड रसीद खाता : 7176002100002354

बैंक का नाम : पंजाब नेशनल बैंक

शाखा का नाम : वेण्णला, एर्नाकुलम

आईएफएस कोड : PUNB0717600

5.2 सफल बोलीदाता को बयाना राशि केवल पट्टा अनुबंध के सफलता पूर्वक पूरा होने के बाद लौटाई जाएगी। यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर पट्टे के समझौते को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो बोर्ड द्वारा बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बोली को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी।

5.3 जो बोलीदाता, प्रति माह अधिकतम पट्टे की राशि का प्रस्ताव करता है, उसे सफल बोलीदाता माना जाएगा, बशर्ते कि वह बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करता हो।

5.4 बोर्ड के पास संयंत्र के संचालन के लिए लाभकर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के आधार पर, समय-समय पर पट्टे की अवधि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.0 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और बोली खोलने की तिथि

6.1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली को "मसाला पार्क, जोधपुर में प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर देने के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली" लिखे अलग लिफाफे में रखा जाएगा। वित्तीय बोली को "मसाला पार्क, जोधपुर में प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर देने के लिए वित्तीय बोली" लिखे अलग लिफाफे में रखा जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली के दोनों मुहरबंद लिफाफों को मसाला पार्क, जोधपुर में प्रसंस्करण इकाइयों को पट्टे पर देने की बोली" लिखे लिफाफे में बंद किया जाएगा और निम्न पते पर इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह 11-11--2019 को या उससे पहले पहुँच जाए।

श्री पी एम सुरेश कुमार

निदेशक (विपणन)

स्पाइसेस बोर्ड

पालारिवट्टम पोस्ट,

कोच्ची- 682025

केरल।

6.2 बोर्ड 12-11-2019 को 11 बजे बोलीदाता या उनके प्रतिनिधि, यदि कोई हो, की उपस्थिति में तकनीकी बोली खोलेगा।

6.3 जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ स्वीकार की जाती हैं, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएंगी।

7.0 पट्टा सौंपने की पात्रता

7.1 बोर्ड, ठेका सौंपने से पहले, बोर्ड की कार्रवाई के आधार, किसी भी समय बिना बोलीदाता/बोलीदाताओं के प्रति कोई भी दायित्व स्वीकार किए या बोलीदाता/बोलीदाताओं को सूचित करने की किसी जिम्मेदारी के बगैर किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.2 बोर्ड उस बोलीदाता को अनुबंध सौंपने पर निर्णय लेगा जिसकी बोली, बोली दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी मानी जाती है और जिसने **पट्टे के लिए उच्चतम राशि** की पेशकश की है तथा जिसे बोली दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार पात्र निर्धारित किया गया है और जिसकी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली स्वीकार्य है।

7.3 समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सफल बोलीदाता को 15 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि (प्रतिदेय) और 2 लाख रुपये के पूर्व-संचालन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कोच्ची में Secretary, Spices Board के पक्ष में तैयार बैंक ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाएगी या एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा नीचे दिए गए अनुसार बोर्ड के खाते में जमा करानी होगी।

स्पाइसेस बोर्ड रसीद खाता:	7176002100002354
बैंक का नाम:	पंजाब नेशनल बैंक
शाखा का नाम:	वेण्णला, एरणकुलम
आईएफएस कोड:	PUNB0717600

7.4 एक समझौते को निष्पादित करने के बाद उच्चतम बोली की राशि उद्धृत करने वाले बोलीदाता को काम सौंपा जाएगा।

7.5 जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार कर ली गई है, उसे बोर्ड द्वारा पहले इ-मेइल से सूचित किया जाएगा, जिसके बाद स्पीड पोस्ट द्वारा एक पुष्टि पत्र दिया जाएगा।

7.6 काम सौंपने में संविदा का गठन भी बनेगा बशर्तकि बोलीदाता, पूर्व संचालन शुल्क, सुरक्षा जमा और तीन महीने की पट्टे की राशि के बराबर अग्रिम राशि प्रस्तुत करता हो।

समझौते की सामान्य शर्तें

1.क) प्रसंस्करण सुविधाएं

बोर्ड ने मसाला पार्क, जोधपुर में बीजीय मसालों के लिए क्लीनिंग, कलर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ब्लेंडिंग, पैकिंग सुविधाओं सहित दो टन प्रति घंटे की क्षमतावाली एक सुसज्जित प्रसंस्करण सुविधा एवं 250 किलोग्राम/घंटा की क्षमतावाली बैच प्रक्रिया की भाप-विसंक्रमण इकाई स्थापित किए थे।

ख) वेयरहाउस

बोर्ड ने मसाला पार्क में छह वेयरहाउसों की स्थापना की थी जिनमें से पाँच को पहले ही पट्टे पर दिया गया है। सामान्य प्रसंस्करण सुविधा के साथ एक वेयरहाउस, नं.5 जो 8600 वर्ग फीट क्षेत्रफल का है, आबंटन के लिए उपलब्ध है। बोर्ड पहले से ही पट्टे वाले वेयरहाउसों के लिए पट्टेदारों द्वारा भुगतान किए गए मौजूदा दर से नीचे वेयरहाउस को पट्टे पर नहीं देगा।

2. स्थायी जल आपूर्ति

संयंत्र में स्थायी जल स्रोत और जल आपूर्ति उपलब्ध है। यदि बोलीदाता अतिरिक्त पानी की लाइनें प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसे अपनी व्यवस्था करनी होगी और वर्तमान आपूर्ति लाइनों में किसी भी सामग्री के परिवर्तन के बिना जल आपूर्ति प्रणाली के नए कनेक्शन और वितरण की सभी लागतों का वहन करना होगा। जल वितरण प्रणाली में केवल आईएसआई प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाली फिटिंग का उपयोग किया जाएगा। बोलीदाता को उपयोग के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित जल शुल्क का भुगतान करना होता है।

3. विद्युत आपूर्ति

पार्क में बोर्ड द्वारा बिजली की आपूर्ति उपलब्ध है। यदि आवश्यक हो, तो बोलीदाता को अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी और नए कनेक्शन और विद्युत प्रणाली के वितरण के लिए सभी लागतों को वहन करना होगा। बोलीदाता राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त बिल के अनुसार उपयोग किए जाने वाले बिजली के मासिक शुल्क को प्रसंस्करण इकाई के मीटर रीडिंग के अनुसार पूरा करेगा। मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली के उपभोग के शुल्क के अलावा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के टैरिफ के अनुसार प्लांट के आनुपातिक कनेक्टेड लोड डिमांड को भी बोलीदाता को वहन करना होता है।

4. डीजी सेट से विद्युत आपूर्ति

प्रसंस्करण सुविधा के संचालन के लिए बोर्ड ने अलग डीजी सेट स्थापित किया था। यदि कोई बोलीदाता संयंत्र के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा स्थापित डीजी सेट का उपयोग करने की इच्छा रखता है तो बोलीदाता द्वारा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए लागू टैरिफ दरों, सेट चलाने के लिए डीजल की लागत और डीजी सेट आदि का उपयोग करने के लिए बोर्ड को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

5. विद्युतीकरण

बोलीदाता बिजली प्राप्त करने और वितरण और आंतरिक तथा बाहरी प्रकाश व्यवस्था के किसी भी नए डिजाइन और स्थापना के लिए जिम्मेदार होगा जो राजस्थान राज्य विद्युत निरीक्षणालय की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और बोलीदाता उन्हें निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कराएगा। यह पहले के विद्युतीकरण के ऊपर और उससे अलग है। उच्चतम मानक के प्रकाश फिटिंग, स्विच गियर, केबल, आदि का उपयोग होगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा। सभी विद्युत स्थापनाएं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत निरीक्षणालय के नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी। उपकरण और सामग्री आईएसआई चिन्ह युक्त और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक गुणवत्ता के होंगे।

6. अपशिष्ट का निपटान

बोलीदाता अपनी लागत पर अपशिष्ट निपटान प्रणाली को तैयार करेगा और उसे बनाए रखेगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और/या बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने वाले किसी भी अपशिष्ट जल को बोर्ड की सामान्य जल निकासी प्रणाली में जाने दिया जाएगा।

7. सड़क और जल व्यवस्था

बोर्ड की अनुमति के बिना, बोलीदाता द्वारा मौजूदा सड़कों या पानी के स्रोतों, पाइप, विद्युत और टेलीफोन लाइनों और नाली को किसी भी तरह से अवरुद्ध, परिवर्तित, संशोधित या बाधित किया नहीं जाएगा। किसी भी अनधिकृत प्रावधान के लिए दावा किये जाने पर, बोलीदाता या उसके कर्मचारियों द्वारा कटौती, परिवर्तन, संशोधन या ऐसी सड़कों या पानी के स्रोतों में बाधा आदि के लिए बोलीदाता से वसूली की जाएगी।

8. क्षतिपूर्ति और देयता

बोलीदाता उत्पादन इकाई के खरीद, संचालन और रखरखाव से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों का वहन करेगा और इस समझौते अथवा बाद में बोलीदाता द्वारा निष्पादित समझौते के अंतर्गत किसी भी दायित्वों के बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी कार्यवाहियों और तृतीय पक्ष के किसी भी प्रकार के दावों, नुकसान, दुर्घटनाओं, जीवन हानि और किसी भी खर्च के लिए क्षतिपूर्ति, बचाव करेगा और बोर्ड को उनसे अप्रभावित रखेगा। बोलीदाता इसके अधिकारियों, नौकरों, एजेंटों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों सहित बोर्ड को पूरी तरह से मुक्त और हानिरहित रखेगा और निम्नलिखित से होने वाले या उत्पन्न किसी भी नुकसान/ क्षति के खिलाफ बोर्ड का बचाव करेगा:

क) बोलीदाता द्वारा प्रचलित कानूनों और लागू परमिट का गैर-अनुपालन

ख) कार्यो, उप-ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, इत्यादि से संबंधित कर या जीएसटी या किसी अन्य कर आदि, जो प्रसंस्कृत मसालों के संचालन और उत्पादन के संबंध में आवश्यक हो, का भुगतान नहीं करना

ग) बोलीदाता को प्रदान की गई सामग्रियों या सेवाओं की राशि का भुगतान न करना जो बोलीदाता या उसकी किसी भी एजेंसी द्वारा देय हो।

9. कर और शुल्क

चुंगी, उत्पाद शुल्क या जीएसटी, क्षतिपूर्ति और/या अन्य प्रभारों या किसी भी लेवी के रूप में सभी शुल्कों का, जो कार्यो पर लगाए जा सकते हैं, बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। कच्चे माल की खरीद, सेवाओं और तैयार उत्पादों की बिक्री पर सभी करों और प्रभारों का बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

10. स्थानीय एवं वैधानिक प्राधिकरणों के उप-कानून और विनियम

क. बोलीदाता उन स्थानीय और वैधानिक प्राधिकरणों के सभी उपनियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा, जिनका कार्यो पर अधिकार क्षेत्र होगा और सभी आवश्यक नोटिसों को देने और प्राप्त करने से पहले, यदि कोई हो, और सभी शुल्कों और अन्य शुल्कों का भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा और बोर्ड को उक्त उप-कानूनों के अनुपालन, किए गए भुगतान, जारी और प्राप्त की गई नोटिसों के बारे में सूचित करेगा। बोलीदाता किसी भी संयंत्र, मशीन, काम या सामग्री के संबंध में अथवा कार्य या अस्थायी कार्यो के संबंध में उपयोग

किए गए रॉयल्टी, पेटेंट अधिकार, डिजाइन, नाम के व्यापार चिह्न या अन्य संरक्षित अधिकारों से संबंधित सभी दावों और उसके संबंध में सभी दावों के खिलाफ, कार्यवाही, लागत, शुल्क और व्यय के खिलाफ बोर्ड का बचाव करेगा। बोलीदाता इस तरह के दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों का बचाव करेगा और सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना, लागत और सभी के शुल्क और उसके संबंध में कानूनी रूप से लागू सभी प्रकार के व्यय का स्वयं भुगतान करेगा।

ख. बोलीदाता स्थानीय या सार्वजनिक बोर्ड या नगरपालिका के उचित और कानूनी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा और उनके नियमों और विनियमों का पालन करेगा तथा सभी शुल्क और प्रभारों का भुगतान करेगा, जिनके लिए वह उत्तरदायी हो सकता है।

11. बीमा

बोलीदाता ऐसे किसी भी नुकसान, क्षति या शारीरिक चोट के जोखिम के खिलाफ बीमा करेगा, जो अनुबंध के निष्पादन और संचालन और रखरखाव की अवधि के दौरान किसी भी भौतिक संपत्ति या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। बोलीदाता संयंत्र और मशीनों का बीमा करेगा, जो उनके पूरे पुनर्स्थापन की लागत से कम न हो, जिसमें तोड़ने की लागत, मलबा हटाना आदि शामिल है। यह बीमा संयंत्र और मशीनों का कब्जा लेने के बाद उचित अवधि से प्रभावी होगा, लेकिन यह अवधि 30 दिनों से अधिक की नहीं होगी। बोलीदाता बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखेगा और उन्हें बोर्ड के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा पॉलिसी की समाप्ति की तारीख बोर्ड को संयंत्र और मशीनों के हस्तांतरण के 6 महीने बाद तक प्रभावी होगी।

12. श्रम

बोलीदाता, उसके द्वारा काम पर लगाए गए सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और संबंधित कार्यों में जो भी और जहां भी हो, उनमें से किसी को भी किसी भी गंभीर दुर्घटना की संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट करेगा और सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए हर व्यवस्था करेगा। बोलीदाता, यदि आवश्यक हो, तो परिसर के बाहर अपने कर्मचारियों के लिए अपने खर्च से आवास, पेयजल, भोजन, शौचालय और मूत्रालयों की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। बोलीदाता स्थानीय या आयातित श्रम को काम पर रखने से संबंधित सभी कानूनों, उपनियमों और नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करेगा और उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को आवश्यक ईएसआई सुरक्षा प्रदान करेगा। बोलीदाता मजदूरी की दरों पर भुगतान करेगा और श्रम की शर्तों का पालन करेगा, जो व्यापार या उद्योग के लिए स्थापित दरों की तुलना में कम न हों। बोलीदाता उद्योग के लिए लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, आव्रजन और उत्प्रवास से संबंधित कानून शामिल हैं और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की अनुमति देगा। बोलीदाता बिना बोर्ड की मंजूरी के कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेगा। बोलीदाता, अपने या अपने किसी भी कार्मिक द्वारा काम पर रखे गए किसी भी व्यक्ति की चोट, तकलीफ, बीमारी या मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दावों, हर्जाने, नुकसानों और खर्चों (कानूनी शुल्क और खर्चों सहित) के जोखिम के खिलाफ बीमा को प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा। बीमा की नीतियों के अंतर्गत बोर्ड को भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय इसके कि वह बीमा घाटे

और दावों को इस हद तक छोड़ सकता है कि वे बोलीदाता या बोलीदाता के कर्मियों के किसी भी कार्य या लापरवाही से उत्पन्न हो सकते हैं। बीमा को उस पूरी अवधि में पूरी तरह लागू और प्रभावी बनाए रखा जाएगा जिसमें ये कार्मिक कार्यों के निष्पादन में सहायता कर रहे हैं।

13. अन्य दस्तावेज

बोर्ड बोलीदाता को समीक्षा के लिए संचालन और रखरखाव अनुबंध, आदि के साथ समझौतों के मसौदे को प्रस्तुत करेगा और बोर्ड द्वारा वहां की गई सभी टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हो तो, उन्हें स्वीकार करने के लिए कार्य करेगा। बोर्ड को प्राप्ति के 30, (तीस) दिनों के भीतर और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रदान करने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं, और बोलीदाता बोर्ड की ऐसी सभी टिप्पणियों/अवलोकनों सभी को शामिल करेगा। उपर्युक्त किसी भी मसौदे पर बोर्ड द्वारा ऐसी कोई टिप्पणियां/अवलोकन या इस तरह की टिप्पणियों को प्रदान करने में विफलता, बोलीदाता को किसी भी तरह से इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों की से राहत या छूट नहीं देगी और यहां दिए गए बोर्ड के अधिकारों से बिना किसी पूर्वाग्रह के यह किसी भी तरीके से बोर्ड को बोलीदाता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाएगी।

14. बोर्ड की बाध्यताएं

बोर्ड निम्नलिखित को मानने, पालन और प्रदर्शन करने के लिए सहमत है:

- i. बोर्ड बोलीदाता द्वारा प्रसंस्करण इकाइयों के संचालन और रखरखाव के विश्वासयोग्य उपयोग के लिए सहमत है, जब तक कि बोलीदाता इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन नहीं करता है।
- ii. प्रसंस्करण इकाइयों पर सुरक्षा व्यवस्था के अधीन कार्यस्थल और अवस्थापना सुविधाओं तक बोलीदाता की पहुंच को सक्षम करना।
- iii. यदि आवश्यक हो तो लागू कानूनों के अनुसार, लागू परमिटों को प्राप्त करने में, बोलीदाता की सहायता करना, बशर्ते कि बोलीदाता लागू कानूनों का अनुपालन करता है।
- iv. जल, विद्युत और दूरसंचार सुविधाओं सहित सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में बोलीदाता की सहायता करना।
- v. बोलीदाता को सीमा शुल्क और सुरक्षा मंजूरी के अधीन निर्माण संयंत्र और सामग्रियों के साथ वाहनों और आवाजाही की अनुमति देना।

15. बोर्ड के अधिकार

- i. बोर्ड के पास परिसर में प्रवेश करने और गतिविधियों की आवश्यक जांच करने का अधिकार पहले से ही मौजूद है।
- ii. बोर्ड को संयंत्र के दैनन्दिन प्रबंधन की जांच करने और प्रक्रिया के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देने का अधिकार है।

- iii. बोर्ड को निष्कर्षण संयंत्र के दैनन्दिन प्रबंधन द्वारा बोलीदाता द्वारा रखे गए किसी भी दस्तावेज, खातों की जांच करने का अधिकार है।
- iv. बोर्ड को निष्कर्षण संयंत्र के दैनन्दिन प्रबंधन पर बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सुझाव देने का अधिकार है और बोलीदाता उचित समय के भीतर इसे शामिल करेगा।
- v. बोर्ड को असंतोषजनक पाए जाने पर बोलीदाता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति की सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार है और ऐसे अवसरों पर बोलीदाता तुरंत कार्रवाई करेगा।

16. शासकीय कानून

बोलीदाता सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य और भारत सरकार में प्रचलित कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि और उपरोक्त परिसर के संचालन से संबंधित अन्य सभी नियम और अधिनियम शामिल हैं। बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र के संचालन के एक महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर उपरोक्त सभी को ध्यान में रखा जाए।

17. अंतिम प्राधिकरण

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के होने के बावजूद, परियोजना से जुड़े किसी भी मामले पर अंतिम प्राधिकार सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के पास है।

18. समापन

बोर्ड को बोलीदाता द्वारा करार के उल्लंघन या डिफॉल्ट के मामले में बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना पट्टा समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा। निम्नलिखित घटनाएं बोलीदाता द्वारा अनुबंध के उल्लंघन या डिफॉल्ट की घटनाओं का गठन करेगी।

- i. बोलीदाता समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहता है
- ii. बोलीदाता अनुबंध के अंतर्गत परियोजना या इसके किसी भी भौतिक दायित्वों को छोड़ देता है।
- iii. बोलीदाता अनुबंध/समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या बोर्ड से इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर उसे ठीक करने में विफल रहता है।
- iv. बोलीदाता संचालन की अवधि के दौरान परियोजना को बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार बनाए रखने में विफल रहता है।
- v. यदि बोलीदाता ने इस अनुबंध के अंतर्गत लागू किसी भी भुगतान में देरी की है और यदि ऐसी देरी 30 दिनों से अधिक हो जाती है।
- vi. यदि बोलीदाता किसी उचित समय के भीतर बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर बोर्ड की

संतुष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है।

- vii. यदि बोलीदाता संचालन की अवधि के दौरान बोर्ड की लिखित अनुमति के कोई परिवर्तन/संशोधन/अतिरिक्त निर्माण करता है।
- viii. यदि बोलीदाता किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कारखाने और परिसर का उपयोग करता है जो बीजीय मसाले के प्रसंस्करण से संबंधित नहीं है या संचालन की अवधि के दौरान बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन या परिवर्धन या निर्माण करता है।
- ix. यदि बोलीदाता प्रसंस्करण के लिए इच्छित कृषि वस्तु (कच्चा माल) के अलावा अन्य सामग्री लाता है
- x. यदि बोलीदाता श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहता है या श्रम कानूनों से संबंधित नियमों को बनाए रखने में विफल रहता है या कल्याण और स्वच्छ आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहता है।
- xi. यदि बोलीदाता संयंत्र और मशीनों के वार्षिक रखरखाव के अलावा लगातार 5 दिनों तक संयंत्र को बंद कर देता है और चलाने में विफल रहता है।

किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जो इस समझौते के संबंध में/बोर्ड के पास हो सकता है, इस करार/ठेके के अंतर्गत बोलीदाता द्वारा किसी भी उल्लंघन या विफलता की घटना बोर्ड को एक लिखित संचार (समाप्ति नोटिस) द्वारा करार/ठेके को समाप्त करने का अधिकार देगी। यदि बोलीदाता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस तरह के उल्लंघन या विफलता को सुधारने में विफल रहता है, तो बोर्ड समझौते को समाप्त कर देगा, संयंत्र, सामग्री और निर्मित क्षेत्रों पर कब्जा और नियंत्रण लेगा और परियोजना को नियंत्रित करेगा, जिसमें बोलीदाता से किसी भी राशि के संग्रह शामिल है। बोर्ड की लिखित अनुमति के बिना कोई भी अस्थायी या स्थायी ढांचा नहीं बनाया जाएगा।

अधिक जानकारी, यदि कोई हो, तो उसके लिए

निदेशक (विपणन)

मसाला बोर्ड, पालारिवट्टम पोस्ट कोचीन, केरल -682 025

दूरभाष: 0484-2333607

ई-मेल: dm.sb-ker@gov.in

से संपर्क करें।

जोधपुर के मसाला पार्क में प्रसंस्करण सुविधाओं को पट्टे पर लेने हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए आवेदन

1. कंपनी का नाम
2. मसाले के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के प्रमाण पत्र का विवरण
3. संपर्क व्यक्ति का नाम, पता, ईमेल आईडी टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर
4. आवेदक की पैन संख्या
5. जीएसटी पंजीकरण का विवरण
6. व्यवसाय का प्रकार और लगातार व्यापार करने के वर्षों की संख्या
7. वर्तमान व्यवसाय का वार्षिक कारोबार
8. जिस वस्तु का लेन-देन किया है उसका प्रकार
9. वर्तमान में किए जा रहे कारोबार की संख्या और विवरण
10. मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की इंजीनियरिंग और संचालन का अनुभव
11. एक मसाला प्रसंस्करण इकाई चलाने के पिछले अनुभव का विवरण
12. मसाला इकाइयों के संयंत्र और मशीनों के निर्माण/संशोधन में अनुभव।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मुहर

अनुसूची - "क" : संरचना और संगठन

बोलीदाता का नाम	
मुख्यालय का पता	
टेलीफोन नं.	
फैक्स नं.	
इ-मेइल आईडी	
प्रादेशिक कार्यालय का पता	
टेलीफोन नं.	
फैक्स नं.	
इ-मेइल आईडी	
व्यापार के मुख्य क्षेत्र	
क) घरेलू से
ख) निर्यातसे
निगमन का स्थान व वर्ष (निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	

हस्ताक्षर

(संगठन की संरचना दिखानेवाला संगठन-चार्ट संलग्न करें)

स्थान :

नाम :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

अनुसूची - "ख" - वित्तीय क्षमता

1. आवेदक का नाम
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरण के आधार पर संपत्ति और देनदारियों का सारांश (कृपया बोलीदाता के प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को संलग्न करें)

क्रम संख्या	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
1	अधिकृत पूंजी			
2	जारी और भुगतान की गई पूंजी			
3	कुल परिसंपत्तियाँ			
4	चालू परिसंपत्तियाँ			
5	नकद, अस्थायी निवेश और वर्तमान प्राप्त्य			
6	कुल देयताएँ			
7	चालू देयताएँ			
8	निवल मूल्य			
9	कार्यशील पूंजी			
10	वार्षिक कारोबार			
11	सकल लाभ			
12	कर से पहले निवल लाभ			
13	कर के बाद निवल लाभ			

3. वर्तमान कार्यशील पूंजी व्यवस्था:
 - क. स्वयं के संसाधन
 - ख. बैंकों से नकद, क्रेडिट सीमा, आदि
4. चालू परियोजनाओं के लिए वर्तमान वार्षिक नकदी अपेक्षाएँ

5. यदि ठेका प्रदान किया जाता है तो परियोजना के लिए धन की प्रस्तावित व्यवस्था
 - क. स्वयं के संसाधन
 - ख. बैंकों से नकद, क्रेडिट सीमा, आदि
6. जैसेकि 30.9.2019 को है, एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाले निवेश का विवरण
7. बैंकों का नाम और पता

हस्ताक्षर

अनुसूची- ग

अनुभव

बोलीदाता का नाम :

1. पिछले 3 वर्षों के दौरान बोलीदाता द्वारा संचालित समान इकाइयों / मसालों के प्रसंस्करण संयंत्रों की सूची

इकाई का नाम व पता	उत्पादित मसाला उत्पाद	संयंत्र की क्षमता	पिछले 3 वर्षों के दौरान क्षमता का उपयोग			पिछले 3 वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार		
			2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19

हस्ताक्षर

वित्तीय बोली (अलग लिफाफे में)

1. बोलीदाता का नाम व पता :

2. प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं के लिए कोट किया गया गया प्रति माह पट्टा किराया :

क्रम संख्या	सुविधा का नाम	प्रति महीना कोट की गई मूल राशि (रुपए)	जीएसटी 18%	प्रति माह कुल (रुपए)
1	बीजीय मसालों की क्लीनिंग व गैडिंग सुविधाएं			
2	8600 वर्ग फीट क्षेत्रफल का वेयरहाउस (पहले से ही पट्टे वाले वेयरहाउसों के लिए पट्टेदारों द्वारा भुगतान किए गए मौजूदा दर से नीचे न हो)			
	प्रति माह कुल			

हस्ताक्षर

मुहर